कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री च्वाइस इण्डिया बाथ फिक्चर्स, 17 ए, जगन्नाथ पुरी, मथुरा।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**042 / 14, 11.08.2014**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री च्वाइस इण्डिया बाथ फिक्चर्स, 17 ए, जगन्नाथ पुरी, मथुरा द्वारा दिनांक 11.08.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित 02 वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

(क). प्लास्टिक कन्टेनर (ड्रम एवं टैंक)।

(ख). पीतल की टोटियॉ।

2. सुनवाई की तिथि 09.10.2014 को नियत थी, किन्तु उनके द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.10.2014 से एक लिखित अभिकथन डाक द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि संलग्न लिखित अभिकथन के आधार पर उनके प्रार्थना-पत्र का निस्तारण कर दिया जाये। लिखित अभिकथन में कहा गया है कि प्लास्टिक कन्टेनर (ड्रम) पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रमांक-174 पर अंकित प्रविष्टि Articles for the packing of goods of plastics, namely, crates, containers, carboys, bottles, jars, jerry canes and their stoppers, lids, caps of plastic but not including insulated wares.....के अन्तर्गत 5% की दर से करयोग्य होना चाहिए। चूँकि कन्टेनर का प्रयोग सामान्य रूप से स्टोरेज या किसी वस्तु / पदार्थ को कैरी करने के लिए किया जाता है। अत: प्लास्टिक कन्टेनर भी उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत आना चाहिए।

पीतल की टोटियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-94 पर अंकित प्रविष्टि Pipes of all varieties including G.I. pipes, C.I. pipes, ductile pipes, PVC etc. and fittings के अन्तर्गत 5% की दर से करयोग्य होना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सीएसटी बनाम सर्वश्री इलाहाबाद ट्रेडिंग एजेन्सी 1985 यूपीटीसी-7 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख किया गया है जिसमें टोटी को ब्रास बेयर न मानते हुए पाइप फिटिंग्स के अन्तर्गत माना गया है। अत: पीतल की टोटियों को पाइप फिटिंग्स के अन्तर्गत मानते हुए 5% की दर से करदेयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ द्वारा पत्र संख्या-1340, दिनांक 11.09.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्लास्टिक कन्टेनर (ड्रम) में तरल / ठोस पदार्थ भरे जाते हैं। अत: इसे कर अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रम संख्या-174 पर वर्गीकृत Articles for the

...2

packing of goods of plastics.....के अन्तर्गत 5% की दर से करदेयता होनी चाहिए। पीतल की टोटियों का उल्लेख उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची में नहीं है। अत: इन्हें अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी में करयोग्य निर्धारित किया जाना उचित होगा।

पुन: एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ द्वारा पत्र संख्या-89, दिनांक 10.04.2015 से पूरक आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है :-

1. व्यापारी वाणिज्य कर कार्यालय, मथुरा में टिन संख्या-09427200728 से पंजीकृत हैं।

2. व्यापारी द्वारा दाखिल बिक्री के रूपपत्रों की जॉच पर पाया गया कि वर्तमान में पीतल की टोटी पर 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर जमा किया जा रहा है। व्यापारी का वैट अवधि में पूर्व वर्षों का कर निर्धारण आदेश भी पारित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-V के अन्तर्गत पीतल की टोटी पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति करदेयता निर्धारित की गयी है।

3. उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विधिक स्थिति की समीक्षा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में दिये गये निर्णय के क्रम में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर सेल्स टैक्स, यू0पी0 बनाम राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद विवादित करदेयता के सम्बन्ध में धारा-35 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। चूँकि प्रश्नगत बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी (रूप-पत्र) दाखिल की गयी है। अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होना माना जायेगा। अत: प्रश्नगत बिन्दु का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि के बाहर होने के कारण व्यापारी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्लास्टिक कन्टेनर (ड्रम / टैंक) के परिप्रेक्ष्य में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत बिन्दु से समवेत बिन्दु पर निर्णय लिया जा चुका है जिसका उल्लेख निम्नवत है :-

1. **सर्वश्री मैटाडोर फोम प्रा0लि0, एफ-10-सी, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-11, कानपुर** के प्रकरण में धारा-59 के निर्णय दिनांक 25.06.2008 के द्वारा प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5% की दर से करदेयता का विनिश्चय किया गया है।

2. **सर्वश्री त्रिरुपति स्ट्रक्चरल्स लि0, ए-6 / 5, साइट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद, जिला**

...3

गाजियाबाद, उ0प्र0 के वाद में दिये गये निर्णय दिनांक 11.08.2008 के द्वारा वाटर स्टोरेज टैंक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-174 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-90 जो निम्नवत है, पर विचार किया गया:-

प्रविष्टि संख्या-174

Articles for the packing of goods of plastics, namely , crates, containers, carboys, bottles, jars, jerry canes and their stoppers, lids, caps of plastic but not including insulated wares, natural rubber, balata, gutta percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strips, synthetic rubber and factice derived from oils in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product, reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip, compounded rubber unvulcanized in primary forms or in plates, sheets or strip.

प्रविष्टि संख्या-90

Packing cases and packing materials including cork, cork sheets, gunny bags, HDPE/PP woven strips, HDPE/PP circular strips and woven fabrics; Hessian cloth, Hessian based paper, Polythene and Hessian based paper; high density polythene fabric based paper and bituminized water proof paper, jute twine; polythene and plastic bags including LDPE plastic bags for milk pouches; Tin containers, shooks, tea chests, waste paper, wooden boxes, wooden shavings, wooden crates, wooden cable drums,All types of ropes and strings, envelopes

Explanation:- planks, penals, battens, when assembled will form tea chest or packing cases will come under packing cases for the purpose of this entry.

उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त उक्त दोनो प्रविष्टियों अर्थात प्रविष्टि संख्या-174 व 90 के अन्तर्गत प्लास्टिक टैंक को सम्मिलित नहीं माना गया है। तदनुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

3. **सर्वश्री प्रभ दयाल ओम प्रकाश, 113, प्रकाश इण्ड0, साहिबाबाद, गाजियाबाद** के मामले में प्लास्टिक कन्टेनर (स्टोरेज टैंक) पर कर की दर के विनिश्चिय के परिप्रेक्ष्य में माननीय कमिश्नर द्वारा निर्णय दिनांक 25.09.2008 से अपने निर्णय को उक्त क्रम संख्या-1 के मामले में दिये गये निर्णय में अन्तनिहित मत पर आधारित करते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

4. **सर्वश्री अखिलेश कुमार शाह, एडवोकेट, 843, नाहरबाग, फैजाबाद** के मामले में प्लास्टिक कन्टेनर (ब्लैंक) जो बैटरी के कवर हेतु प्रयुक्त होता है उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-90 जिसका उल्लेख ऊपरलिखित है, के आधार पर निर्णय दिनांक 03.12.2010 में उसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत

...4

वस्तु की भॉति 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है । इसी क्रम में पीतल की टोटी के सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकरण में दाखिल रूपपत्र के परिप्रेक्ष्य में मामला कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष Proceeding Pending माने जाने के आधार पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि के बाहर मानते हुए प्रार्थना-पत्र ग्राह्य योग्य नहीं माना गया है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया, तथा धारा-59 के सन्दर्भित निर्णयों में दिये गये Ratio पर विचार करने पर पाया गया कि प्रश्नगत मामले में जहॉ तक प्लास्टिक कन्टेनर (ड्रम एवं टैंक) पर करदेयता का विनिश्चय उपरोक्तानुसार दिये गये निर्णय में किया जा चुका है, तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ के पत्र संख्या-89, दिनांक 10.04.2015 से प्राप्त आख्या के साथ संलग्न द्वितीय तिमाही 2014-15 के रूपपत्र के अनुलग्नक-ए एवं बी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत वस्तु की बिक्री को रूपपत्रों में घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है । अत: तद्नुसार प्रश्नगत प्रकरण में प्लास्टिक कन्टेनर ((ड्रम एवं टैंक) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-174 से आच्छादित न होने के कारण पुन: उसी बिन्दु पर विनिश्चय का औचित्य नहीं है ।

जहॉ तक पीतल की टोटियों पर कर के दर के विनिश्चय का प्रश्न है, प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त आख्या पर विचार किये जाने पर यह पाया गया कि पीतल की टोटी पर प्रार्थी द्वारा वाणिज्य कर कार्यालय, मथुरा में दाखिल रूप पत्रों में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है, तथा पूर्व वर्षों का प्रार्थी का कर निर्धारण आदेश भी पारित किया गया है, जिसमें प्रश्नगत बिन्दु विवादग्रस्त नहीं है, तथा इस सम्बन्ध में कोई अपील भी किये जाने का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं । धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर सेल्स टैक्स, यू0पी0 बनाम राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद विवादित करदेयता के सम्बन्ध में धारा-35 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । चूँकि प्रश्नगत बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी (रूप-पत्र) दाखिल की गयी है । अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होना माना

....5

जायेगा, तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के निम्नलिखित प्राविधान :-

(1) If any question arises, otherwise than in a **proceedings pending** before a Court or before an authority under this Act, whether, for the purposes of this Act-

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or

(c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or purchase price, as the case may be, therefor; or

(d) any particular dealer is required to obtain registration; or

(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof, के दृष्टिगत चूँकि प्रार्थी पंजीकृत हैं, तथा संगत वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल किया गया है । अत: उपरोक्त विधिक प्राविधान एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत बिन्दु पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि से बाहर होने के कारण ग्राह्य योग्य नहीं है ।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी , कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 27 अप्रैल, 2015

ह0 / 27.04.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।